2244
2019

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

Rs. 500

N JUDICIAL

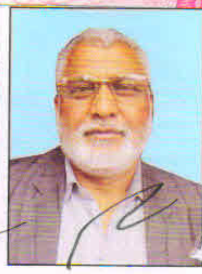

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH X 348395

।। जय माता दी।।

पट्टा म्याद 30 साल
भूभाड़ा– 5,000/–रूपये सालाना
मालियत–30,000/–रूपये
स्टाम्प–600/–रूपये
क्षेत्र उपनिबन्धक द्वितीय मथुरा।

हम कि श्रीमती रामदुलारी कॉलेज ओल जिला मथुरा द्वारा अध्यक्षा श्रीमती सरोज सोलंकी पत्नी श्री निंरजन सिंह निवासी–ग्राम ओल, तहसील व जिला मथुरा मो0–9897719104 (पट्टादाता प्रथमपक्ष एवं श्रीमती आर0डी0 पब्लिक स्कूल ओल मथुरा द्वारा संचालित आर0डी0 एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी द्वारा सचिव निंरजन सिंह सोलंकी पुत्र श्री सोवरन सिंह निवासी–ग्राम ओल, तहसील व जिला मथुरा मो0–9897719104 पट्टेदार द्वितीयपक्ष के है।

विदित हो कि एक किता जमीन क्षेत्रफल– 968 वर्गगज बराबर– 809.34 वर्गमीटर जिसकी सीमा यह है।

पूरब– जमीन श्रीमती रामदुलारी कॉलेज
पश्चिम– रास्ता 15 फीट
उत्तर– जमीन श्रीमती रामदुलारी कॉलेज
दक्षिण– जमीन श्रीमती रामदुलारी कॉलेज

स्थित मौजा–ओल, तहसील व जिला मथुरा जो खसरा नम्बर– 2458 की भूमि के भाग में स्थित है। उक्त सम्पत्ति आबादी में स्थित है, तथा विकास शुल्क सीमा के बाहर स्थित है। उक्त जमीन को प्रथमपक्ष विक्रेता ने बजरिये पंजीकृत बैनामा इकरारी जयसिंह पुत्र श्री सामन्ता से दिनांक– 29.11.2005 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार मथुरा में वही

क्रमांक 40 दिनांक 20/2/19 [illegible]

नाम श्रीमती राजदुलारी [illegible] श्रीमती [illegible] सोलंकी [illegible] निरंजन [illegible]

संलग्न .... निवासी [illegible]

नवीन कुमार गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता (ला०11/13-14)
रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा

कोषागार, मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 019652

नम्बर एक जिल्द– 1653 के पृष्ठ– 141– 168 में नम्बर– 11349 को हुई दर्ज है, पट्टादाता प्रथमपक्ष को उक्त प्लाट की बाबत हर प्रकार के अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त है। अतः अपने अधिकाक का प्रयोग करके लाभार्थ स्थाई आय हेतु उक्त सम्पत्ति को 30 साल के कॉलेज हेतु लिये पट्टे पर देना तय किया है। सौभाग्य से द्वितीयाक्ष उक्त सम्पत्ति को पट्टे पर लेने के तैयार है।

पट्टे की शर्तें निम्नलिखित हैः–

1. यह कि पट्टादाता प्रथमपक्ष ने पट्टेदार द्वितीयपक्ष को दिनांक–15.02.2019 से 30 साल की अवधि हेतु उक्त सम्पत्ति को पट्टे पर दिया है। और पट्टेदार द्वितीयक्ष ने उक्त सम्पत्ति को 30 साल के लिये पट्टे पर लेना स्वीकार किया है। जिसके हम दोनों पक्षकारणगण व उनके कायम मुकामान वारिसान व स्थानापन्न अन्तरिती सदैव पाबन्द होगें।

2. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति का भूभाड़ा 5000/–रूपये सालाना तय करार पाया जाता है। जिसके पट्टेदार द्वितीयपक्ष, पट्टादाता प्रथमपक्ष को बजरिये रसीद साल के साल अदा करता रहेगा। अदम अदाय किराया 3 साल पट्टादाता प्रथमपक्ष को भूभाड़ा वसूल करने का अधिकार होगा। परन्तु किसी भी दशा में पट्टादाता प्रथमपक्ष व उसके स्थानापन्न पट्टेदार या वारिसानों पट्टेदार को अथवा उसके स्थानापन्न को बेदखल न कर सकेगें।

3. यह कि कब्जा व वदखल पट्टादाता प्रथमपक्ष में वर्णित सम्पत्ति से अपना हटाकर पट्टेदार द्वितीयपक्ष को वास्तविक रूप से पट्टेदारान का करा दिया। पट्टेदार द्वितीयपक्ष वर्णित सम्पत्ति पर काबिज होकर नक्शा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत करावे व नव निर्माण करावे। पट्टेदार द्वितीयपक्ष को वर्णित सम्पत्ति में वे सभी अधिकार प्राप्त हो गये जो सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्राविधानों में पट्टेदार द्वितीयपक्ष के लिये वर्णित है।

सरोज

[signature]

आवेदन सं०: 201900764007408

क्रमांक 41 दिनांक 20/2/19 को पट्टा विलेख/ कबूलियतनामा
नाम 20 पुत्र
बही सं०: 1 निवासी रजिस्ट्रेशन सं०: 2244 वर्ष: 2019

प्र० फल- 30000 स्टाम्प शुल्क - 600 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 600 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 योग : 640

श्रीमती रामदुलारी कॉलेज ओल मथुरा द्वारा
सरोज सोलंकी अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
पत्नी श्री निरजन सिंह
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: ग्राम ओल तहसील व जिला मथुरा

सरोज

श्रीमती. रामदुलारी कॉलेज ओल मथुरा द्वारा

सरोज सोलंकी अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 20/02/2019 एवं 03:05:26 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमर नाथ उपाध्याय प्रभारी
उप निबंधक सदर द्वितीय
मथुरा
20/02/2019

सूर्य प्रकाश सक्सेना
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 019653

4. यह कि पट्टेदार द्वितीयपक्ष अपने हकूक पट्टे का अन्तरण करने को सक्षम होगें। जिसमें पट्टादाता प्रथमपक्ष या उसके स्थानापन्न को कभी कोई उज्र या एतराज हरगिज हॉसिल न होगा।

5. यह कि पट्टादाता प्रथमपक्ष या पट्टेदार द्वितीयपक्ष की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को वहीं अधिकार हॉसिल होगें जो पूर्व पट्टादाता/पट्टेदार को प्राप्त थे।

6. यह कि पट्टेदार द्वितीयपक्ष सम्पत्ति की बाबत तय किये भूभाड़े को उचित समय व उचित स्थान पर पट्टादाता या उसके अधिकृत एजेन्ट को अदा करेगा।

7. यह कि पट्टे की अवधि की समाप्ति पर पट्टेदार या स्थानापन्न पट्टादाता या उसके स्थानापन्न को सम्पत्ति का कब्जा प्रदान करेगा जिस स्थिति में ली थी, उसी स्थिति में देगा।

8. यह कि पट्टा दिनांक 15.02.2019 से प्रभावी हो गया।

9. यह कि द्वितीयपक्ष इस भूखण्ड पर अपने स्कूल हेतु प्रयोग के लिये जिस प्रकार से भी निर्माण करावेयगें वह करवा सकेगे। प्रथमपक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

3. यह कि द्वितीयपक्ष इस भूखण्ड पर अपने नाम से बिजली आदि के कनैक्शन लें व सम्बन्धित विभागों में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करें। प्रथमपक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदन सं०: 201900764007408

उप निबंधक : सदर द्वितीय मथुरा

क्रमांक 42/4 वही सं० 1 रजिस्ट्रेशन स०: 2244

नाम .... पुत्र ....

सलग्न .... निष्पादित लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्रीमती रामदुलारी कॉलेज ओल मथुरा के द्वारा सरोज सोलकी , पत्नी श्री निरंजन सिंह

निवासी: ग्राम ओल तहसील व जिला मथुरा

व्यवसाय: गृहिणी

पट्टा गृहीता: 1

श्री आर०डी०पब्लिक स्कूल ओल द्वारा सचालित आर०डी० एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी के द्वारा निरंजन सिंह सोलकी , पुत्र श्री सोवरन सिंह

निवासी: ग्राम ओल तहसील व जिला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री कृष्णवीर सिंह , पुत्र श्री निरंजन सिंह

निवासी: ओल जिला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री राजाराम शर्मा , पुत्र श्री बद्रीप्रसाद

निवासी: चन्द्रपुरी कॉलोनी धौलीप्याऊ मथुरा

व्यवसाय: अन्य

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] उपाध्याय प्रभारी

http://igrsup.gov.in/igrsup/showReport [illegible]

लिहाजा मन इन्द्रिय बुद्धि की स्वस्थ अवस्था में बिना खाये या सूंघे किसी नशीली वस्तु के यह पट्टा विलेख म्याद 30 साल के लिये दोनों पक्षकारगण ने दो गवाहान के समक्ष अपने–अपने हस्ताक्षर करके लिपिबद्ध कर दिया कि प्रमाण रहे और पंच–पंचायत अदालत में निष्चयात्मक साक्ष्य में ग्रहण किया जावे।

दिनांक–20.02.2019
टाईप किया–मु0 इमरान
ड्राफ्ट किया– चन्द्रमोहन शर्मा एडवोकेट मथुरा।

गवाह–कृष्णवीर सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह
निवासी–ओल, जिला मथुरा मो0–9045011557

गवाह–राजाराम शर्मा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद
निवासी–चन्द्रपुरी कॉलौनी, धौलीप्याऊ मथुरा मो0–9412226244

आवेदन सं०: 201900764007408

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9287 के पृष्ठ 327 से 334 तक क्रमांक 2244 पर दिनाँक 20/02/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमर नाथ उपाध्याय प्रभारी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
मथुरा
20/02/2019